



2026:AHC:31155

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2112/2026

रामाश्रय वर्मा

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नागेंद्र कुमार सिंह, रमेश सिंह कुशवाहा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश सिंह कुशवाहा और राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनूप कुमार को सुना।
2. इस रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि वह एक सफाई कर्मचारी है। आरोप-पत्र जारी होने के बाद, रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई और तत्पश्चात, 03.08.2013 को जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर द्वारा दंड आदेश पारित किया गया; जिसके विरुद्ध रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने एक अपील प्रस्तुत की थी, किंतु वह अपील समय-सीमा से बाहर होने के कारण विलंबित थी, जिसे 16.11.2013 को विलंब के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया।
3. दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए, यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता, विशेष रूप से तब जब रिट याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है; और इसके अतिरिक्त, यद्यपि अपील दायर करने में विलंब हुआ था, फिर भी उस विलंब को क्षमा किया जाना चाहिए था, क्योंकि विलंब की क्षमा के लिए एक उचित आधार मौजूद था। जहाँ तक वर्तमान रिट याचिका को विलंब से प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में रिट याचिका के पैराग्राफ 32 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।
5. श्री अनूप कुमार, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि विलंब की माफी के लिए रिट याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सफाई स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं; विशेष रूप से तब, जब इस संबंध में 13 वर्षों का विलंब एक अत्यंत ही अत्यधिक विलंब है।
6. मैंने न्यायालय में प्रस्तुत दलीलों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया है।
7. जाहिर तौर पर, दिनांक 03.08.2013 के दंड आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की गई थी, जिसे दिनांक 16.11.2013 को विलंब के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया। इन दोनों आदेशों को वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई, और यह रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.02.2026 को प्रस्तुत की गई। रिट याचिका का पैराग्राफ 32 निम्नानुसार है:-
“32. माननीय उच्च न्यायालय में यह रिट याचिका समय पर दायर करने में याचिकाकर्ता की ओर से कोई जान-बूझकर की गई या सोची-समझी देरी नहीं है; क्योंकि याचिकाकर्ता ने 02.11.2013 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष अपनी अपील दायर की थी, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता को कोई आदेश नहीं दिया गया। इसके बाद उसने प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष 11.04.2014, 05.06.2015, 07.11.2018, 12.12.2021 और 09.09.2025 को अनुस्मारक दायर किए। इसके बावजूद, जब याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष अपनी अपील की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो 16.01.2026 को याचिकाकर्ता अपने एक रिश्तेदार के साथ वाराणसी गया और वाराणसी मंडल, वाराणसी के मंडलीय उप निदेशक के कार्यालय में जाकर अपनी उक्त अपील की स्थिति के बारे में पूछताछ की। तब उसे प्रत्यर्थी संख्या 2/मंडलीय उप निदेशक (पंचायत), वाराणसी मंडल, वाराणसी द्वारा पारित दिनांक

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16.11.2013 का एक आदेश प्राप्त हुआ, जिससे उसे पता चला कि उसकी अपील खारिज कर दी गई है।”

8. रिट याचिका के पैरा 32 में दी गई व्याख्या विचार योग्य नहीं है, विशेष रूप से तब, जब यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें रिट याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने की जानकारी न रही हो। दरअसल, एक बार जब रिट याचिकाकर्ता द्वारा अपील दायर कर दी जाती है, तो उचित समय-सीमा के भीतर उस अपील का निस्तारण न होना अपीलकर्ता के मन में संदेह पैदा करता है; और यह बात समझ या कल्पना से परे है कि कोई व्यक्ति यह मान ले कि अपील दायर किए जाने के बावजूद उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह बात मानने लायक नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को अपील में पारित आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि वह इस गलतफहमी में था कि अपील पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।
9. तदनुसार, कोई उचित आधार नहीं बनता है; अतः, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

12 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”